सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –11.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 04 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्तगण 1- रानू उर्फ धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र आशाराम 2- उदयवीर पुत्र चेतराम निवासीगण ग्राम सिहारी थाना माधौगढ 3- विजय पुत्र रामराज 4- मंगल उर्फ योगेन्द्र पुत्र सुघर सिंह निवासीगण ग्राम कैलोर थाना माधौगढ जनपद जालौन पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की घटना के संबन्ध में वादी श्री धर्मवीर सिंह निरीक्षक थाना कोतवाली उरई की तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 2146/12 धारा 147/148/149/307 भादवि 12/14 यूपी डी एक्ट एवं मु0अ0सं0 2147/12, 2149/12, 2150/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 2151/12 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, अभियुक्तगणों के कब्जे से करीब 39,000/-रू0 एवं चोरी के जेवरात बरामद हुए थे। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 11.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पे0 डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण रानू उर्फ धर्मेन्द्र चौधरी, उदयवीर, विजय, मंगल उपरोक्त सभी को दोषी पाते हुये 10-10 वर्ष का कारावास एवं 55-55 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।